COURT FEE INDIA 10 Rs. दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE INDIA 5 Rs. पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /2002, नि0 मा0

R 1483- III/2002

1. परमानन्द पुत्र गोकुल जाति ब्राह्मण
2. गनेशराम पुत्र गोकुल, जाति ब्राह्मण
3. मिठ्ठनलाल पुत्र रामप्रसाद
4. भवानी शंकर पुत्र रामप्रशाद
5. मुन्नालाल पुत्र रामप्रशाद
फौत ~~6. मन्नो बेबा रामप्रसाद~~ Deleted As Per order Dated 03/9/15
7. ग्यासी फौत वारिस हरनारायण 03/9/15
8. लज्जाराम पुत्र ग्यासी
9. बल्लभ पुत्र ग्यासी
10. मुन्ना पुत्र ग्यासी
11. चेतराम पुत्र ग्यासी
12. बिरजि पुत्र नेकसिया
13. ब्रजेश पुत्र नेकसिया
समस्त निवासीगण- नन्द गांगोली
14. मीरा पुत्री नेकसिया पत्नी दीनदयाल निवासी ग्राम छतरी का पुरा मौजा गलेथा परगना जौरा जिला मुरैना
15. मथुरा पुत्री रामप्रशाद पत्नी रामेश्वर निवासी मुडियाखेड़ा तहसील मुरैना
16. रामरती पुत्री रामप्रशाद पत्नी रामेश्वर निवासी छतरपुर मौजा विण्डवा
17. गीता पुत्री रामप्रशाद पत्नी अवधेश निवासी कैंथरी तहसील मुरैना
फौत ~~18. राधश्री विधवा पत्नी गोपाल पुत्री गोकुल निवासी बहोड़ापुर ग्वालियर~~ Deleted As Per order Dated 03/9/15 M.F.

~~18. श्रीमती विधवा पत्नी गोपाल पुत्री गोकुल मृतवारिसान~~
~~(अ) चन्द्रशेखर पुत्र गोपाल, आयु 55 वर्ष,~~
~~(ब) प्रेमनारायण पुत्र गोपाल, आयु 52 वर्ष,~~
~~(स) विष्णु पुत्र गोपाल, आयु 50 वर्ष,~~
~~(द) गिरराज पुत्र गोपाल, आयु 46 वर्ष,~~
~~निवासीगण- बहोड़ापुर ग्वालियर~~
Amended As Per order Dated 03/9/2015 M.F. 03/9/2015

19. बाबूलाल पुत्र हरवल्लभ 03/9/15
20. मुन्नालाल पुत्र हुब्बलाल
21. नत्थीलाल पुत्र हुब्बलाल
निवासी- गणेशपुरा मुरैना

25/6/02

2

R 1483.14/02

फौत 22. करना पुत्र गोविन्द निवासी हाल मुरार
~~मृतवारिसअपरदा पुत्री करना,~~
Amended As Per order Dated 03/9/15 आवेदकगण/रिस्पोडेन्टस
बनाम

(1) रेवती पुत्री तेजसिंह विधवापत्नी बाबूलाल मृतवारिसान
(अ) रामावतार पुत्र बाबूलाल, आयु 55 वर्ष,
(ब) सिहराम पुत्र बाबूलाल, आयु 53 वर्ष,
(स) मुन्नीलाल पुत्र बाबूलाल, आयु 50 वर्ष,
निवासीगण-सुमावली तहसील जौरा
Amended As Per order Dated 03/9/2015

फौत ~~1. रेवती पुत्री तेजसिंह विधवा पत्नी बाबूलाल~~
Deleted As Per order Dated 03/9/2015
~~निवासी नन्द गोगोली हाल निवासी~~
~~सुमावली तहसील जौरा (फौत दिनांक 17.8.99)~~

2. रामदुलारे पुत्र हुब्बलाल
3. रामअवतार पुत्र हुब्बलाल
4. रामप्रकाश पुत्र हुब्बलाल
समस्त निवासीगण नन्द गोगोली हाल निवासी विण्डवा
5. बाबूलाल पुत्र शींदूराम, निवासी नन्द गांगोली हाल विण्डवा तहसील जौरा जिला मुरैना -- अपीलान्टस

(6) रामदुलारी विधवा पत्नी नेकसिया, मृतवारिसान
(अ) गिरिराज पुत्र नेकसिया, आयु 50 वर्ष,
(ब) गिरिजेश पुत्र नेकसिया, आयु 47 वर्ष,
(स) राजेश पुत्र नेकसिया, आयु 45 वर्ष,
Amended As Per order Dated 03/9/2015

फौत ~~6. रामदुलारी विधवा पत्नी नेकसिया (फौत)~~
7. रामकटोरी पुत्री नेकसिया (फौत) -- रिस्पोडेंट नं. 22 व 23
--- --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 ए म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 21.03.2002 श्री अखिलेन्दु अरजरिया अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना जो प्रकरण क्रमांक 102/98-99 अपील रेवती आदि बनाम मिट्ठनलाल आदि में पारित किया गया ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की निगरानी अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

(अ) यह कि, विवादित भूमि खाते की कृषि भूमि होकर सह-स्वामित्व की भूमि है जिसका बंटवारा अर्सा करीब 17 वर्ष पूर्व दिनांक 05.11.85 को किया जाकर प्रत्येक सहस्वामी का नाम खसरा पंचशाला में पृथक हिस्सा अंकित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 ने अर्सा 11 वर्ष 3 माह बाद अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 24.05.99 को खारिज की गई ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1483–तीन/02 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 102/98–99/अपील में पारित आदेश दिनांक 21–3–2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 44 दिनांक 20–10–85 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सह खातेदारों के मध्य बटवारा स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक रेवती आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि वे अपील को अवधि के अंदर मान्य कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाये । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक को अनावेदक क. 1 के वारिसों के अधिवक्ता के तर्क सुने गये थे एवं आवेदक	

 R-1483-LT/02

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । 4/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकों द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अपील को अवयिध बाह्य मानकर निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने यह पाया है कि नायब तहसीलदार को नामांतरण पंजी पर बटवारा करने का अधिकार नहीं है और ऐसे आदेश को विधिमान्यता नहीं दी जा सकती । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए अधिकारिता रहित आदेश के कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करना उचित नहीं माना है तथा उन्हें प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि वे अपील को अवधि के अंदर मान्य कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाये । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1483–तीन/02 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	